न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 184 / 2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022 / 304**
दायर दिनांक :– 02.09.2022 **निर्णय दिनांक :– 17.01.2025**

1. समसदीन पुत्र मेवा जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
2. इलमदीन पुत्र नसरदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
3. कुतबदीन पुत्र नसरदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
4. ताज मोहम्मद पुत्र नसरदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
5. निवाब खां पुत्र नसरदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
6. निहालदीन पुत्र नसरदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
7. अलाजवाई पुत्री नरसदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
8. नबीयत पुत्री नसरदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. अब्दुल मजीज पु कादा जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
2. अब्दुल अजीज पुत्र कादा जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
3. गफूरा पुत्र थायरा जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
4. सरफदीन पुत्र कादा जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा नोख तहसील बाप जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम नूरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खसरा नम्बर 380 रकबा 5.0181 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खसरा नम्बर 380 रकबा 5.0181 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खसरा नम्बर 380 रकबा 5.0181 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	समसदीन पुत्र मेवा 1/3 हि., अमरखातू पत्नी मेवा 1/3 हि., इलमदीन, कुतुबदीन, ताजमोहम्मद, निवाबखां, निहालदीन पुत्र नसरदीन 1/3 हिस्सा जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	नूरे की भुर्ज	380	1.6727 हैक्टेयर	बी–3
2	अ. मजीज 1/6, अब्दूल अजीज 1/6, सफरदीन 1/6 पुत्र कादा, अमिनत पत्नी गफूरा 1/16, अमरखातू 1/16, नूरी 1/16, रहमत 1/16, हसीना 1/16, पुत्री गफूरा, बरकत अली 1/16, मो. शरीफ 1/16, सदाम हुसैन 1/16 पुत्र गफूरा जाति मुसलमान सा. देह। रहन एस.बी.आई शाखा नोख अमिनत, उन्मत खातू, नूरी, बरकत अली, मो. शरीफ, रहमन, सदाम हुसैन व हसीना का हिस्सा।	नूरे की भुर्ज	380	3.3454 हैक्टेयर	बी–3

कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. समसदीन पुत्र मेवा जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
02. इलमदीन पुत्र नसरदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
03. कुतबदीन पुत्र नसरदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
04. ताज मोहम्मद पुत्र नसरदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
05. निवाब खां पुत्र नसरदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
06. निहालदीन पुत्र नसरदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
07. अलाजवाई पुत्री नरसदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
08. नबीयत पुत्री नसरदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

01. अब्दुल मजीज पु कादा जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
02. अब्दुल अजीज पुत्र कादा जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
03. गफूरा पुत्र थायरा जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
04. सरफदीन पुत्र कादा जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
05. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा नोख तहसील बाप जिला फलोदी
06. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 184 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खसरा नम्बर 380 रकबा 5.0181 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	समसदीन पुत्र मेवा 1/3 हि., अमरखातू पत्नी मेवा 1/3 हि., इलमदीन, कुतुबदीन, ताजमोहम्मद, निवाबखां, निहालदीन पुत्र नसरदीन 1/3 हिस्सा जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	नूरे की भुर्ज	380	1.6727 हैक्टेयर	बी—3

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अ. मजीज 1/6, अब्दूल अजीज 1/6, सफरदीन 1/6 पुत्र कादा, अमिनत पत्नी गफूरा 1/16, अमरखातू 1/16, नूरी 1/16, रहमत 1/16, हसीना 1/16, पुत्री गफूरा, बरकत अली 1/16, मो. शरीफ 1/16, सदाम हुसैन 1/16 पुत्र गफूरा जाति मुसलमान सा. देह। रहन एस.बी.आई शाखा नोख अमिनत, उन्मत खातू, नूरी, बरकत अली, मो. शरीफ, रहमन, सदाम हुसैन व हसीना का हिस्सा।	नूरे की भुर्ज	380	3.3454 हैक्टेयर	बी–3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.01.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।